न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 01/2009

आरसीएमएस नं. 2009/00078

1. औमप्रकाश पुत्र श्री जीवनसिह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ। (मृतक)
   1/1 शीलोदेवी पत्नी स्व0 श्री औमप्रकाश
   1/2 बूटा सिह }
   1/3 अमरजीत सिंह } पिसरान स्व0 औमप्रकाश
   1/4 गुरदीप सिंह पुत्र स्व0 श्री औमप्रकाश (मृतक)
   1/4/1 कोमलरानी पुत्री स्व0 श्री औमप्रकाश
   1/4/2 भीमसिंह पुत्र स्व0 गुरदीप सिह पुत्र स्व0 श्री औमप्रकाश
   1/5 मलकीत सिह पुत्र स्व0 श्री औमप्रकाश
   1/6 कमलादेवी पुत्री स्व श्री औमप्रकाश
   1/7 सुरेश रानी पुत्री स्व0 श्री औमप्रकाश
   1/8 महेन्द्रपाल कौर पुत्री स्व0 श्री औमप्रकाश
   1/9 सुनीता पुत्री स्व0 श्री औमप्रकाश

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर हनुमानगढ।
2. प्राधिकृत अधिकारी सीलिंग उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ।
3. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।
4. बत्तो देवी बेवा
5. मंगतराम पुत्र
6. पम्मो देवी पुत्री
7. राजपाल पुत्री
8. अक्को देवी पुत्री
9. तारी पुत्री
10. गुड्डी पुत्री

} जसराम अकवाम अराई निवासीयान मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

— रेस्पोडेंट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 13.10.2018
द्वारा सहायक कलक्टर संगरिया
अनवान ओमप्रकाश बनाम सरकार प्र. सं. 96/2007

उपस्थितिः–

श्री बलविन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री रविन्द्र कुमार भोबिया, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 3
श्री अनिल कुमार शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 4

निर्णय

दिनांक 20.9.22

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण सं0 4 से 10 ने सिविल न्यायाधीश (व0ख0) संगरिया के समक्ष एक वाद प्रस्तुत किया। इस वादपत्र में कथन किया कि वादी अपीलार्थी व उसके भाई दिवंगत जसराम के पास कुल 189 बीघा 5 बिस्वा भूमि चक नं. 16, 17, 18, 19 व 20 एमकेएस में दर्ज कागजात माल थी। तत्कालीन प्राधिकृत अधिकारी (सीलिंग) जिला श्रीगंगानगर मुकाम हनुमानगढ ने पुराने सीलिंग कानून के तहत 107 बीघा वादी सं0 1 की मानकर इस में से नहरी कृषिभूमि 83 बीघा 5 बिवा एवं बारानी कृषि भूमि 23 बीघा 15 बिस्वा को आधार मानकर एवं सीलिंग सीमा मानने की गर्ज से बारानी कृषि भूमि को 5 बीघा 19 बिस्वा नहरी भूमि में परिवर्तित मानकर वादी सं0 1 के पास कुल 89 बीघा 4 बिस्वा भूमि का सरप्लास मान लिया गया व इस भूमि को अधिगृहित करने के आदेश दिये। इसके बाद नये सीलिंग कानून के लागू होने के बाद नये कानून के संदर्भ में वादी सीलिंग पत्रावली को पुनः चालू किया किया व अपने आदेश दिनांक 19.02.76 को वादी सं0 1 की अनुपस्थिति में वादी सं0 1 के परिवार में कुल सदस्यों को मानकर वादी सं0 1 को 65 बीघा भूमि के लिए सक्षम मान लिया गया और पुर्व सीलिंग के फैसले को बहाल रखा गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि वादी सं0 1 के पास मौके पर कब्जा उस समय 40.14 बीघा कृषि भूमि वास्तविक धारण में थी। शेष भूमि पर दीगर कब्जा धारियों का कब्जा था। पटवारी हल्का ने अन्य कब्जा धारियों के कब्जा में स्थित कृषि भूमि को भी वादी सं0 1 के कब्जे में दिखला दिया। प्राधिकारी सीलिंग का फेसला दिनांक 19.02.76 केवल वादी सं0 1 के पास वास्तविक कब्जा काश्त की भूमि के आधार पर न कर के बल्कि राजस्व अंकणों के आधार पर मानकर किया गया है। जबकि वादी सं0 1 के पास 45.14 बीघा से अधिक भूमि पर कब्जा नहीं थी। इसलिए आक्षेपित आदेश दिनांक 19.02.76 कतई गलत, खिलफ कानून एवं नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के विपरीत है। वादपत्र में वादीगण ने यह अनुतोष मांगा की वाद पत्र की चरण सं0 4 व 5 में वादीगण के वास्तविक कब्जा की जो तफसील प्रस्तुत है

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

उनके संबंध में वादीगण खातेदारी अधिकारी प्राप्त करने के अधिकारी है इस प्रकार घोषणा फरमाई जावे कि वादी सं0 1 46 बीघा 14 बिस्वा एवं वादीगण सं0 2 ता 8, 43 बीघा 4 बिस्वा कृषि भूमि को रिटैन करने के अधिकारी है जो रकबा राज नहीं है व वादीगण के खातेदार काश्तकार हैं। साथ ही घोषणा चाही कि इस सम्बन्ध में बेदखली व तावान की कार्यवाहियों को संस्थित करने, इस कोई कार्यवाही करने व भूमि को कुर्क अथवा निलाम करने से निषिद्ध रहे व वादीगण के उपयोग व उपभोग में बेजा हस्ताक्षेप करने से निषिद्ध रहें। माननीय सिलिव न्यायालय ने वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायलाय को नहीं होने सिलिंग प्रकरणों से संबंधित मामलों को सुनने का क्षेत्राधिकार भी सिविल न्यायालय को नहीं होने एवं आदेश 7 नियम 11 (घ) दीवानी प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत यह वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज कर दिया एवं मूल वाद को सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये जिसके अनुसरण में उपराक्त वाद सहायक कलक्टर संगरिया के समक्ष प्रस्तुत हुआ जो मु0 नं0 96/07 दर्ज हुआ। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को स्वीकार करते हुए उक्त वाद निर्णय व डिक्री दिनांक 13.10.2008 के द्वारा खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि वादीगण द्वारा प्राधिकृत अधिकारीर सिलिंग द्वारा पारित निर्णयों 08.08.75 व 19.02.76 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चुनौती न देकर राजस्व न्यायलाय में वाद प्रस्तुत कर उक्त निर्णयों के विरूद्ध अनुतोष चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्राधिकृत अधिकारी सीलिंग द्वारा पारित निर्णयों में कोई हस्तक्षेप करने की अधिकारिता नहीं होना मानकर विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का भली भांति अवलोकन नहीं किया है क्योंकि उपरोक्त सिलिंग प्राधिकारी के द्वारा पारित निर्णयों को राजस्व मंडल के स्तर पर चुनौती दी जा चुकी है व अंततः उनके विधि विरूद्ध आदेशों को अधिनस्थ न्यायालय क समक्ष चुनाती दी है। चुंकि प्राधिकृत अधिकारी (सीलिंग) ने न्यायलय की भांति निर्णय पारित नहीं किये थे व न ही उन्हें न्यायलाय का दर्जा ही हासिल था ऐसी अवस्था में वादी अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर अपने अधिकारों की घोषणा करवाने जाने का अधिकार हासिल था व उन्हीं अधिकारों के अनुसरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायलाय ने अपने निर्णयय में यह व्याख्या नहीं की है कि वादी/अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत वाद किस प्रकार से विधि द्वारा वर्जित है। यह आदेश सकारण आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायलाय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जावें।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 3 ने कथन किया कि विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

Loiro

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 4 ने लिखित बहस पेश में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रश्नगत रकबा का माननीय रजास्व मण्डल अजमेर के द्वारा दिनांक 01.12.1983 को निर्णय किया जा चुका है जिस कारण अपीलाण्ट ने अपील पेश कर जो अनुतोष चाहा है वह विधि विरूद्ध है। अपीलाण्ट ने दिनांक 10.11.1990 के स्टाम्प की लिखित बाबत पुलिस थाना संगरिया में एफआईआर संख्या 547/2010 दर्ज करवाई गई कि चक 18 एमकेएस के प. नं. 159/230 मुरब्बा नं. 220 किला नं. 8, 13, 18, 23 व पत्थर नंबर 159/231 मुरब्बा नं. 31 किला नं. 3, 4, 8 भूमि का बेचान जसराम के वारिसों द्वारा हजारीराम पुत्र चन्दूराम दौलतपुरा को व चक 16 एमकेएस के मुरब्बा नंबर 83 किला नं. 8 व 13 का बेचान शेरादेवी पत्नी चन्दूराम को फर्जी तरीके से कर दिया व अपीलांट/औमप्रकाश की भूमि पर कब्जा कर लिया तो पुलिस थाना संगरिया द्वारा दोनों प्रकरणों की जांच करके औमप्रकाश द्वारा प्रस्तुत किए गये सभी दस्तावेजों को झूठा माना गया औम प्रकाश बंटवारानामा 10.01.1990 की मूल प्रति पेश नहीं कर सका। वस्तुतः जसराम की मृत्यु के बाद सिलिंग अधिकृत रकबा जसराम का दिखाकर माननीय न्यायालय को गुमराह करने के लिए ये बंटवारानामा फर्जी तैयार किया गया था जिसका उद्देश्य न्यायालयों को गुमराह करके सिलंग की जमीन बचाना व जसराम के वारिसों की भूमि को हड़पना था। औमप्रकाश ने दिनांक 10.01.1990 के फर्जी बंटवारे का लाभ लेने के उद्देश्य से संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता होने के कारण वैश्वासिक संबंधों के चलते बंतो देवी पत्नी जसराम के खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाकर कई न्यायालयों में दावे प्रस्तुत किये जिनमें अपील अनवान बंतो देवी आदि बनाम स्टेट आदि सं0 14/2007 न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ 28.02.2008 बंटवारानामा के आधार पर पेश की थी जो खारिज फरमाई गई है। प्रश्नगत रकबा संबंधी अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा खारिज होने के उपरांत माननी राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में अनवानी औमप्रकाश बनाम स्टेट अपल संख्या 1056/2005 प्रस्तुत की गई जो खारिज फरमाई गई उसके उपरान्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील सं0 54/71/2006 अनवानी औमप्रकाश बनाम स्टेट प्रस्तुत की गई जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.07.2006 को खारिज फरमाई गई है। अपीलाण्ट ने अपनी सिलिंग की जमीन को बंटवारे से बेचान के लिए फर्जी बंटवारानामा तैयार कर औमप्रकाश के भाई जसराम की मृत्यु के बाद रेस्पोडेण्ट को गुमराह कर खाली कागजों पर अंगूठे लगाकर कई न्यायालयों में दावे पेश किये हैं। अतः अपीलाण्ट की यह अपील खारिज किये जाने योग्य है जो खारिज की जावे।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अपीलाण्ट ने प्राधिकृत अधिकारी (सिलिंग) द्वारा पारित निर्णयों दिनांक 08.08.1975 व 19.02.1976 को चुनौती देते हुए उक्त निर्णयों के विरूद्ध अनुतोष चाहा है। विचारण न्यायालय ने पद पत्र को आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी से बाधित मानते हुए वाद को खारिज कर दिया और यह निर्धारित किया है कि इस

राजस्व अपील प्राधिकारी,
हनुमानगढ

न्यायालय को प्राधिकृत अधिकारी (सीलिंग) द्वारा पारित निर्णयों में कोई हस्तक्षेप करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है। अपीलाण्ट ने दिनांक 10.01.1990 के फर्जी बंटवारे का लाभ लेने के उद्देश्य से बंतो देवी पत्नी जसराम के खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाकर कई न्यायालयों में दावे प्रस्तुत किये जिनमें अपील अनवान बंतो देवी आदि बनाम स्टेट आदि सं0 14/2007 न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ 28.02.2008 बंटवारानामा के आधार पर पेश की थी जो खारिज फरमाई गई है। प्रश्नगत रकबा संबंधी अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा खारिज होने के उपरांत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में अनवानी औमप्रकाश बनाम स्टेट अपील संख्या 1056/2005 प्रस्तुत की गई जो खारिज फरमाई गई उसके उपरान्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील सं0 54/71/2006 अनवानी औमप्रकाश बनाम स्टेट प्रस्तुत की गई जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.07.2006 को खारिज फरमाई गई है। वस्तुतः अपीलाण्ट ने अपनी सिलिंग की जमीन को बंटवारे से बचाने के लिए फर्जी बंटवारानामा तैयार कर औमप्रकाश के भाई जसराम की मृत्यु के बाद रेस्पोडेण्ट को गुमराह कर खाली कागजों पर अंगूठे लगाकर कई न्यायालयों में दावे पेश किये हैं। प्राधिकृत अधिकारी (सीलिंग) द्वारा पारित निर्णयों में कोई हस्तक्षेप करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.10.2008 यथावत रखे जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.9.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/9/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

डिक्री व सीगे अपील

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास करतार सिंह पूनियॉ आर0ए0एस0

अपील संख्या 01/2009
आरसीपीएस नं. 2009/00078

1. औमप्रकाश पुत्र श्री जीवनसिह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ। (मृतक)
   1/1 शीलोदेवी पत्नी स्व0 श्री औमप्रकाश
   1/2 बूटा सिह
   1/3 अमरजीत सिंह } पिसरान स्व0 औमप्रकाश
   1/4 गुरदीप सिंह पुत्र स्व0 श्री औमप्रकाश (मृतक)
   1/4/1 कोमलरानी पुत्री स्व0 श्री औमप्रकाश
   1/4/2 भीमसिंह पुत्र स्व0 गुरदीप सिह पुत्र स्व0 श्री औमप्रकाश
   1/5 मलकीत सिह पुत्र स्व0 श्री औमप्रकाश
   1/6 कमलादेवी पुत्री स्व श्री औमप्रकाश
   1/7 सुरेश रानी पुत्री स्व0 श्री औमप्रकाश
   1/8 महेन्द्रपाल कौर पुत्री स्व0 श्री औमप्रकाश
   1/9 सुनीता पुत्री स्व0 श्री औमप्रकाश

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर हनुमानगढ।
2. अधिकृत अधिकारी सीलिंग उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ।
3. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।
4. बन्तो देवी बेवा
5. मगराम पुत्र
6. पम्मो देवी पुत्री
7. राजमाल पुत्री
8. अक्को देवी पुत्री
9. तारी पुत्री
10. गुड्डी पुत्री

जसराम अकवाम अराई निवासीयान मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 13.10.2018
द्वारा सहायक कलक्टर संगरिया
अनवान ओमप्रकाश बनाम सरकार प्र. सं. 96/2007

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री बलविन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलार्थी, श्री रविन्द्र कुमार भोबिया, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 3, श्री अनिल कुमार शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 4 की बहस समायत की जाकर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.10.2008 यथावत रखे जाते हैं।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 20.9.22 को जारी की गई।

20/9/22

(करतार सिंह पूनिया) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)